समाहरणालय मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-7214/खाद्य दिनांक-04.09.2014 द्वारा माह-सितम्बर,2014 के लिए किरासन तेल का प्राप्त मासिक आवंटन एवं पत्रांक 7326/खाद्य दिनांक-09.09.2014 द्वारा प्राप्त कम्पनीवार कोटा निर्धारण के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 456/आ0 दिनांक 16.09.2014 द्वारा मधेपुरा जिला अन्तर्गत प्रखण्डवार एवं नगर निकायवार क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार माह सितम्बर,2014 के लिए मासिक उपवांटन निर्गत किया गया था।

दिनांक 27.09.2014 को बी0पी0सी0एल0 से सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता मेसर्स शिवशक्ति एजेन्सी, सिंहेश्वर द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि बी0पी0सी0एल0 कम्पनी द्वारा उन्हें माह सितम्बर,2014 के लिए 15 टैंकर (180 के0 एल0) किरासन तेल ही आवंटित किए जाने की सूचना दी गई है। इसी प्रकार एच0पी0सी0एल0 के थोक विक्रेता मेसर्स जयबजरंग एजेंसी,कुमारखंड द्वारा भी लिखित रुप से प्रतिवेदित किया गया है कि एच0पी0सी0एल0 कम्पनी द्वारा उन्हें माह सितम्बर,2014 के लिए उन्हें 15 टैंकर (180 के0 एल0) किरासन तेल ही आवंटित की गयी है। थौक विक्रेता सिंहेश्वर द्वारा पूर्व उपावंटित 16 टैंकर के विरुद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेंडर द्वारा उठाव हेतु शेष किरासन तेल के संबंध में विवरणी भी उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त विवरणी के अनुसार सबसे अधिक सिंहेश्वर प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेंडर द्वारा किरासन तेल उठाव किया जाना शेष है।

इस प्रकार विभागीय पत्रांक-7214/खाद्य दिनांक 04.09.2014 द्वारा माह-सितम्बर,2014 के लिए आवंटित किरासन तेल 110 टैंकर विरुद्ध बी0पी0सी0एल0+एच0पी0सी0एल0 कम्पनी द्वारा आवंटित 30 टैंकर को घटाने के पश्चात् इंडियन ऑयल कंपनी के लिए उपावंटित किरासन तेल की मात्रा 80 टैंकर होती है,जिसके विरुद्ध 79 टैंकर किरासन तेल ही कंपनी के थोक विक्रेताओं को पूर्व में आवंटित की गयी थी। इस प्रकार बचे 1 टैंकर (12 के0एल0) का संशोधित उपावंटन इंडियन ऑयल कम्पनी के मधेपुरा जिलान्तर्गत कार्यरत थोक किरासन तेल विक्रेता मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेंसी,उदाकिशुनगंज को करते हुए थौक किरासन तेल विक्रेतावार उपावंटित मात्रा में आंशिक संशोधन करते हुए माह सितम्बर,2014 हेतु सिंहेश्वर प्रखंड के लिए संशोधित निम्न प्रकार किरासन तेल उपावंटित किया जाता है:-

क्र0	प्रखण्ड/ अनुभाजन क्षेत्र का नाम	2001 के आधार पर जनसंख्या	प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह- अगस्त,14 में वितरित किरासन तेल की मात्रा के विरुद्ध सन्निहित परिवार की सं0	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली में) ज0वि0प्र0वि/हॉकर	सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली0में)
01	02	03	04	05	06	07
01	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	33427	ज0वि0प्र0- 91924.250 हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीक्षक-850.000 कुल- 97274.250	1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर। 2.मेसर्स चामुण्डे ऑयल,उदाकिशुनगंज।	85274.250 12000.000 कुल-97274.250

शेष निदेश पूर्व निर्गत उपावंटन आदेश ज्ञापांक-456/आ0, दिनांक 16.09.2014 के अनुरूप ही रहेगा।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 502 आ0, मधेपुरा दिनांक 29.9.14

प्रतिलिपि- मेसर्स शिवशक्ति एजेंसी,थौक किरासन तेल विक्रेता, सिंहेश्वर/मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेंसी,थौक किरासन तेल विक्रेता, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उपनिदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/09/14

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।